

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

पॉक्सो न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 42000 जुर्माने की सजा से भी दंडित किया

राजसमंद, (नि.सं.)। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 42000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनादय ने बताया कि फरवरी 2019 को परिवारों ने पुलिस थाना चारभुजा में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि उसकी पुत्री रात्रि में उसके घर के पास स्थित बाड़े में भैंसों को चारा डालने की कहकर घर से निकली जो 15-20 मिनट तक घर पर वापस नहीं आई तो उसने व उसके परिवार वालों ने उसकी पुत्री को गांव में तक काफी तलाश की परंतु उसका कोई पता नहीं चला। उसकी पुत्री कक्षा दो तक पढ़ी हुई होकर 14 वर्ष की है। जिसको कोई बहला-फुसलाकर ले गया।

अपहरण का अंदेश भी जताया गया। चारभुजा थाना पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर व आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त गोवर्धन लाल के विरुद्ध उच्च न्यायालय राजसमंद में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में पीडिता पर राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनादय ने 26 गवाह न्यायालय में पेश किया तथा 26 दस्तावेज



पुलिसकर्मी के साथ नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी।

न्यायालय में परीक्षित कराए गए न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त गोवर्धन लाल पुत्र मोहन लाल निवासी

मोराणा पुलिस थाना चारभुजा को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 42000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित दंडित किया

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की सजा

जालोर, (कासं)। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम न्यायालय जालोर के विशिष्ट न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने शक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद मुताज अली ने बताया कि 16 अप्रैल 2021 को विशनगढ़ निवासी पीडिता के पिता ने पुलिस थाना जालोर में रिपोर्ट पेश कर बताया कि विशनगढ़ में मोटरसाईकिल की दुकान है। तथा प्रथम तल पर दुकान तथा प्रथम फ्लोर पर आवास स्थित है।

15 अप्रैल 2021 की रात्रि को हम सभी परिवार वाले खाना खाकर रात को करीब 11 बजे सो गये थे। 16 अप्रैल सुबह 4 बजे उठकर देखा तो मेरी नाबालिग पुत्री गायब मिली। मेरी उक्त नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर किसी अनहोनी संगीन वारदात करने की गरज से ले गया है। मेरी नाबालिग पुत्री को दस्तयाव कर सुपुर्द करवाये। पुलिस ने उक्त गुमशुदगी दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। दौरान

अनुसंधान संदिग्ध सदीक खान पुत्र चांद खान जाति मोयला मुसलमान, निवासी विशनगढ़ के मोबाईल नम्बर की सीडीआर निकालने पर उसे महाराष्ट्र कल्याण से नाबालिग सहित सदीक खान को गिरफ्तार किया गया। तथा नाबालिग के पुलिस से न्यायालय में दिये गये बयानों के आधार पर सदीक का द्वारा नाबालिग को जबरदस्ती बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करना पाया जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से बीस गवाहन परिलक्षित करवाये गये। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व प्रवाली का अवलोकन करने के बाद आरोपी सदीक खान द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर अहमदाबाद के एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया जाने पर बीस साल की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद मुताज अली ने की।

नगर पालिका ने सिवाय चक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाये

60-70 बीघा भूमि पर हो रहे थे अवैध अतिक्रमण



नगर पालिका की सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाती हुई जेसीबी मशीन।

तारानगर, (नि.सं)। तारानगर के उत्तरी दिशा में नगर पालिका की सिवायचक भूमि के खसरा नम्बर 933/306 व 334/306 में हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिये पालिका अधिशाषी अधिकारी अरुण सोनी पालिका कर्मचारियों सहित पुलिस जांच के साथ मौके पर पहुंच कर अतिक्रमण हटाये। गौरतलब है कि उक्त भूमि विवादित भूमि है जिस पर रामपुत्र बेरी के पूरणमल ब्राह्मण ने अपना कब्जा बताकर अपने स्वामित्व की बताई है और इस सम्बन्ध में किच मामला तारानगर के न्यायालय में विचारण नम्बर 933 व 934 में उपस्थित होकर जेसीबी मशीन व

कर्मचारियों की सहायता से जो कच्चे अतिक्रमण लोगों द्वारा किये गये हैं उनको हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इन अतिक्रमणों को हटाकर नगरपालिका की भूमि को संरक्षित किया जा रहा है। पालिका ईओ ने बताया कि अभी 60 से 70 बीघा भूमि से अतिक्रमण जो कच्चे हैं को हटाना है लेकिन जो पक्के अतिक्रमण हैं उन पर भी विचार किया जायेगा। इस अवसर पर हल्का पटवारी प्रताप डूडी, नगर पालिका स्वच्छता निरीक्षक त्रिशूल भाटी, लक्ष्मीसिंह, मुताज व जमादाद मुकेश बालिक की सहित तारानगर व पुलिस प्रशासन भी उपस्थित था।

ईओ नगर पालिका अरुण सोनी ने

ट्रक ने बारातियों से भरी कार को टक्कर मारी

आठ बालिकाओं सहित ड्राइवर घायल



चरू सड़क मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी।

रतनगढ़, (नि.सं)। चरू सड़क मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक ने बारातियों से भरी एक कार को टक्कर मार दी। घटना में कार में सवार आठ बालिकाओं सहित कार ड्राइवर घायल हो गया, जिन्हें रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है।

सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला

अस्पताल एवं मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार शक्रवार सुबह वारात में शामिल बालिकाओं से भरी कार जैसे ही चरू रोड पर आई, तो सामने से डीएपी से भरे अनियंत्रित ट्रक ने बारात की गाड़ी के टक्कर मार दी। घटना में गाड़ी में सवार आठ बालिकाओं सहित चालक घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर

लोगों की भीड़ लग गई तथा घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घायल बालिकाओं का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिनकी हालत चिकित्सकों ने खतरे के बाहर बताई है।

स्टेडियम की बाहरी दीवार गिरी

जोधपुर, (कासं)। शहर के बरकततुल्ला खां स्टेडियम की बाहरी दीवार आज सुबह भरभरा कर गिर गई। दीवार के बाहर कई सारे चौ पहिया वाहन खड़े थे। जिससे वे क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। दीवार रेलिंग समेत गिरी और वाहनों पर चकनाचूर कर दिया। कई गाड़ियों के शीशे फूटने के उनके बोनट का बुरी तरह नुकसान पहुंचा। बाद में नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ के अलावा कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके का जायजा लेने पहुंचे।

हादसे में एक साथ वाहन क्षतिग्रस्त

शक्रवार की सुबह बरकततुल्ला खां स्टेडियम की बाहरी दीवार जोकि कल्पतरु सिनेमा वाली रोड पर है। वह भरभरा कर गिर गई। दीवार के पास में हालांकि कोई नहीं था, जिससे जनहानि होने से बच गई। मगर दीवार के पास में कई लोगों के चौपहिया वाहन खड़े थे जोकि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। यह वाहन स्टेडियम के सामने चल रहे अस्पतालों और काबोरियों के थे जोकि पार्क करते हैं। अचानक से दीवार के गिरने से धमाकों की आवाज हुई। दीवार गिरने से वाहनों के बोनट को नुकसान पहुंचने के साथ गाड़ियों के शीशे टूट कर बिखर गए। नगर निगम सहित जेडीए आदि के अफसर घटनास्थल पर जायजा लेने के आए।

ए.एस.पी. दिव्या मित्तल को हाईकोर्ट से जमानत

अजमेर, (कासं)। प्रतिबंधित दवाओं के मामले की जांच में दो करोड़ रुपए की रिश्त मांगने के मामले में निर्लंबित एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। न्यायाधीश सीके सोनगरा ने मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत के आदेश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट से 2 करोड़ की रिश्त के मामले में निर्लंबित एएसपी दिव्या मित्तल को जमानत मिली है। जस्टिस सीके सोनगरा ने जमानत के आदेश दिए हैं। मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत मिली है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने पैरवी की। एसीबी ने 16

दो करोड़ रुपये की घूस लेने का मामला

जनवरी को दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। प्रतिबंधित दवाओं के मामले की जांच में दो करोड़ रुपए की रिश्त मांगने का आरोप है।

पर्सनल लाइफ भी कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ी:- मालूम हो कि दो करोड़ की रिश्त मांगने के मामले में एसीबी की की गिरफ्त में आई एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल का विवादों से गहरा नाता रहा है। प्रोफेशनल ही नहीं दिव्या की पर्सनल लाइफ भी कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है। उसने अपने लिव-इन पार्टनर से

मंदिर में शादी की। कुछ समय बाद उससे तलाक हो गया। दिव्या के पिता ने देहज का मुकदमा भी कराया था। इतना ही नहीं अपनी कारगुजारी से दिव्या एक बार एपीओ भी हो चुकी है। दिव्या से जुड़े लोगों ने बताया कि वह हमेशा से लज्जती लाइफ स्टाइल का शौक रहा है। उदयपुर में एक रिपोर्ट ने चर्चा हिल पैसेस के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा भी कई प्रॉपर्टी है।

16 जनवरी को किया था एसीबी ने गिरफ्तार:- एसीबी ने 16 जनवरी को दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। प्रतिबंधित दवाओं के मामले की जांच में दो करोड़ रुपए की रिश्त

मांगने का आरोप है। 2 करोड़ की रिश्त मांगने के मामले में एसीबी की गिरफ्त में आई एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल का विवादों से गहरा नाता रहा है। एसीबी ने एएसपी दिव्या कई ठिकानों पर सच ऑपरेशन किया थ, झुंझुनू के चिड़ावा करके में भी उनके निवास पर करीब 8 घंटे तक सच की करवाई चली थी। चिड़ावा में एएसपी दिव्या मित्तल का पैतृक मकान है, यहां पर दिव्या मित्तल के माता-पिता रहते हैं। गौरतलब है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल का परिवार मूल रूप से हरियाणा निवासी है, मगर कई दशकों से उनका परिवार चिड़ावा में रह रहा है।

अवैध स्काई टावर बिल्डिंग निर्माण का मामला सी.एम.ओ. पहुंचा

अजमेर, (कासं)। अजमेर के प्रगति नगर कोटड़ा क्षेत्र में बनाई गई बहुमंजिला स्काई टावर बिल्डिंग के निर्माण के दौरान सरकारी कार्यों की मिलाभगत के चलते राजस्थान बिल्डिंग बायलॉजिकल काई प्रकाश से अनियमितता भी बरती गई है। साहू ने शिकायत में बताया कि प्रगति नगर कोटड़ा क्षेत्र में बनाई गई 13 मंजिला बहुआवासीय स्काई टावर बिल्डिंग नियम विरुद्ध बनाई गई। उक्त बहुमंजिला बिल्डिंग के नियम विरुद्ध निर्माण की शिकायत पर पूर्व में

नियम विरुद्ध लगभग 13 मंजिला बहु-आवासीय स्काई टावर बिल्डिंग बनाई गई। उक्त बहुमंजिला बिल्डिंग के निर्माण के दौरान सरकारी कार्यों की मिलाभगत के चलते राजस्थान बिल्डिंग बायलॉजिकल काई प्रकाश से अनियमितता भी बरती गई है। साहू ने शिकायत में बताया कि प्रगति नगर कोटड़ा क्षेत्र में बनाई गई 13 मंजिला बहुआवासीय स्काई टावर बिल्डिंग नियम विरुद्ध बनाई गई। उक्त बहुमंजिला बिल्डिंग के नियम विरुद्ध निर्माण की शिकायत पर पूर्व में

जिला कलेक्टर अजमेर ने जांच कार्रवाई के आदेश अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव एवं नगर निगम अजमेर की उपायुक्त को दिए थे, लेकिन कलेक्टर के आदेश के बाद भी आज तक जांच कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। साहू ने बताया कि मामले को लेकर जिला कलेक्टर की ओर से नगर निगम अजमेर के उपायुक्त को 24 जनवरी व 22 फरवरी 2023 को पत्र प्रेषित कर आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई के नोटिस जारी किए गए थे।

आर.टी.एच. बिल का विरोध

डूंगरपुर, (नि.सं.)। राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल पारित करने के विरोध में विगत 13 दिनों से हड़ताल पर उतरे निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों ने शक्रवार को नया अस्पताल चौराहा पहुंच केंडल जला कर विरोध प्रदर्शन किया तथा सरकार से उक्त बिल को निजी चिकित्सालयों एवं जनता के हित में नही बताया और से तत्काल वापस लेने की मांग की। डॉक्टर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ दलजीत यादव के नेतृत्व में सरदार वल्लभभाई पटेल स्कूल पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी तथा केंडल जला कर विरोध दर्ज कराया।

सोलह लोगों के खिलाफ घर बंद करने का मामला दर्ज

जालोर, (कासं)। जालोर कोतवाली पुलिस ने शक्रवार को विवाहिता ने सास-ससुर सहित सोलह लोगों के खिलाफ घर बंद करने व दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया।

पुलिस ने अनुसार अनिता (31) पत्नी जितेंद्र कुमार पुत्री नारायण लाल, निवासी- न्यू रामदेव, कॉलोनी केशव भवन, जालोर, तहसील व जिला जालोर ने रिपोर्ट पेशकर बताया कि 25 जून 2011 को जितेंद्र कुमार के साथ हिन्दू रिति रिवाज के साथ हुई थी। विवाह प्रार्थीया के परिवार वालों ने अपनी हैसियत से अधिक सोने-चन्दी के जेवर व स्त्रीधन को सुपुर्द किये थे, जो सभी जेवर व स्त्रीधन आरोपियों के कब्जे में ही है। 2017 से ही प्रार्थीया को आरोपियों ने दहेज की नाजायज मांग कर मारपीट कर घरबंद कर दिया। जिसके बाद प्रार्थीया ने पारिवारिक न्यायालय में हिन्दू विवाह दाम्पत्य सम्बन्धों की पुनः स्थापना का प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर पारिवारिक न्यायालय जालोर में 30 जनवरी 2023 को प्रार्थीया के पक्ष में मुलजिम के विरुद्ध लगातार पुनः दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित करने का आदेश पारित किया था, जिस आदेश पर कोई स्थान नहीं है। आज दिन तक किसी भी न्यायालय व सायाजिक रूप से तलाक नहीं हुआ है। जिस बात की जानकारी समस्त मुलजिमानों को होने के बावजूद भी सब मुलजिमानों ने पकड़ाय होकर छलकपट से प्रार्थीया व दोनों मासुम बच्चों की जिन्दगी खराब करने एवम प्रार्थीया के

विवाहिता ने सास-ससुर पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया

सोने-चन्दी के जेवर तहडप कर 22 फरवरी को गैर कानूनी रूप से जितेंद्र कुमार ने, अरुणा के साथ विवाह करवा दिया। जिस गैर कानूनी विवाह करवाने में सभी मुलजिमानों का सहयोग रहा है। पुलिस ने बताया कि जितेंद्र कुमार पुत्र दलाभाई राव (पति), दलाभाई पुत्र केशभाई (सासुर), जवरी पत्नी दलाभाई (सास), प्रमोद पत्नी मुकेश कुमार (नन्द), मंजू देवी पत्नी जयंतिलाल (काकीसास), रेखा देवी पत्नी धमेन्द्र (देवरानी), कान्तीलाल पत्नी मोरकी देवी (काका ससुर), विमलाम पत्नी जमना देवी (बडा ससुर), जातिवान राव, निवासीगण नू रामदेव कॉलोनी, जालोर, अरुणा पुत्री मनीराम गैर कानूनी जितेंद्र राव (गैर कानूनी पत्नी), मनाराम पुत्र लालाराम (अरुणा का पिता), सीता पत्नी मनाराम (अरुणा की माता), प्रकाश पुत्र मनाराम (अरुणा का भाई), चन्द्रा पत्नी प्रकाश (अरुणा की साथी), विनोद पुत्र मनाराम (अरुणा का भाई), कंचन पुत्र खेमराज (अरुणा की भाभी), विमला पुत्री मनाराम (अरुणा की बहिन) जातिवान राव, निवासीगण चंचोडी, तहसील रानी, जिला पाली के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पेंथर ने चार मवेशियों का शिकार किया

उदयपुर, (कासं)। गोगुन्दा कस्बे के मोडी घाटा गांव में आए पेंथर ने मकान में घुस कर मवेशियों का शिकार किया। इस दौरान चार मवेशियों की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर कार्यवाही की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शक्रवार दोपहर में गोगुन्दा कस्बे के मोडी घाटा गांव में आए पेंथर ने देवीसिंह व खेमसिंह के मकान को क्लेपुंश छत को फाड़ कर पेंथर ने अंदर घुस कर बकरियों का शिकार किया। जिससे छह बकरियों की मौत हो गई। हादसे को पता चलने पर ग्रामीणों में भय होने से वे पेंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं। इधर सूचना मिलने पर क्षेत्रिय वन अधिकारी रवि माथुर के निर्देश पर वन नाका गोगुन्दा से नरेन्द्र गोस्वामी, धमेन्द्र मीणा, रमेश गोस्वामी मय जापा ने मौके पर पहुंच कर उच्चाधिकारियों को घटना हालात की जानकारी दी तथा पशु चिकित्सकों को बुलावा कर मृतक मवेशियों का पोस्टमार्टम करवाया।

क्षेत्रिय वन अधिकारी रवि माथुर ने बताया कि घटना के बाद से ही वन विभाग की टीम पेंथर की मुवमेंट पर नजर रखे हुए है। पेंथर का मुवमेंट बदले एवं उससे बचाव के लिए ग्रामीणों को अनावश्यक बाहर नहीं निकलने, मकानों के आस पास आग लगाने, पटाखे फोड़ने सहित अन्य आवश्यक जानकारी दी गई है। आवश्यकता होने पर पिंजरा लगाया जाएगा। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजों की कार्यवाही की जावेगी।

अजमेर में गहलोत के सभा स्थल पर तेज बारिश और ओले गिरे

कांग्रेस कार्यकर्ता कुर्सियां सर पर उठाकर बारिश से बचे



कार्यकर्ताओं ने कुर्सियों को अपने ऊपर लगाकर बारिश से बचाव किया।

किफ हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, आरटीडीसी चेरमैन धर्मेश सिंह राठौड़, कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया।

कार्यकर्ता के बाद मोडिया से बातचीत में गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और आरोप ल गया कि भाजपा के शासन काल में संवैधानिक संस्थाओं का

दुरुपयोग किया जा रहा है और नतीजा देश का संविधान और लोकतंत्र अब खतरे में है। राहुल गांधी जिस तरह से अडाणी का मुद्दा उठाया उसका सरकार को जवाब देना चाहिए था। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष भी है। संसद में जवाब दिया नहीं उन्हें संसद की सदस्यता से ही बाहर कर दिया। इन सब से राहुल गांधी को फर्क नहीं पडता लेकिन इन बातों का मोदी सरकार पर फर्क पडता है। देश के हालात

चिंताजनक है। भाजपा द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की बात कही जाने की वजह से ही पंजाब में अमृतपाल खालिस्तान की बात कर रहा है। कार्यकर्ता ने लगाए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद के नारे :- तेज बारिश के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता को सदस्यता से ही बाहर कर दिया। इन सब से राहुल गांधी को फर्क नहीं पडता लेकिन इन बातों का मोदी सरकार पर फर्क पडता है। देश के हालात

बैनर-पोस्टर फाड़कर बारिश से बचाव किया

तरह से यह कुर्सियां उलटी हुई है। उसी तरह यह सरकार भी उलट चुकी है। इसके बाद कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाता शुरू कर दिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में :- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अजमेर दौर के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान की बदहाल चिकित्सा, कानून व शिक्षा व्यवस्था सहित पैरालीक मुद्दों पर ज्ञान देने की तैयारी में थे। लेकिन अजमेर पुलिस ने एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकर्ता सत्येश आशुगुप्त डूकिया को लॉ कॉलेज से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद छात्रों में आक्रोश और बड़ गया। छात्र सीएम को ज्ञान देने के लिए पुलिस लाईन चौराहे पर पहुंचे जहां से पुलिस ने एमडीएस छात्रसंघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा, महानगर सहमंत्री उदय सिंह शेखावत, छात्रसंघ महासचिव अंकित शर्मा, बंटी गुर्जर को हिरासत में लिया।